

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 104 / 2022

प्रार्थीगण :-

1. रायधनखां पुत्र इब्राहिम खां
जाति मोयला निवासी गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राहींगाराम पुत्र माधाराम जाति कलबी
2. उकाराम पुत्र प्रभुराम
3. ओखाराम पुत्र प्रभुराम
4. देवाराम पुत्र प्रभुराम जाति राईका
5. जगाराम पुत्र राणाराम
6. नरसीराम पुत्र राणाराम
7. मगाराम पुत्र राणाराम जाति भांभी
8. सबलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
9. छगनकंवर पत्नी हडवन्तसिंह
10. डूंगरसिंह पुत्र हडवन्तसिंह
11. रसालकंवर पत्नी हेमसिंह
12. श्यामसिंह पुत्र हडवन्तसिंह
13. श्रवणसिंह पुत्र हडवन्तसिंह
14. संग्रामसिंह पुत्र हडवन्तसिंह
15. हेमसिंह पुत्र हडवन्तसिंह जाति राजपूत
निवासी आलपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
16. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत: 2076-2079 जमाबन्दी 2078 (विषय 2021) से स्थायी सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 293, 308 रकबा कमश: 0.6637, 0.5180 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 293, 308 रकबा क्रमशः 0.6637, 0.5180 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/8/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रसाद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी